# (TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II) No. I-14011/02/2021-IPS.I (II) Government of India Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 23.08.2021

#### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttarakhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

#### Select List 2020

S. No.	Name(S/Shri)	Date of Birth	
1.	Devendra Pincha	11.10.1978	
2.	Pradeep Kumar Rai	01.07.1974	

- 2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.
- 3. The appointment shall take effect from the date of issue of this notification.

(A K Saran)

Director(Police)

To

The Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi- 110064

F. No. I-14011/04/2020-IPS.I (II)

New Delhi, Date: 23.08.2021

#### A copy of each is forwarded to: -

1. Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Deharadun. - with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.

2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House,

Shahjahan Road, New Delhi - for information.

3. Director General of Police, Uttarakhand, Deharadun.

4. Accountant General, Uttarakhand, Deharadun.

5. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.

6. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link "https://ips.gov.in/App\_Uttarakhand.aspx".

(Sanjeev Kumar)

Under Secretary to the Government of India

# {भारत के राजपत्र, भाग।, खण्ड (।।), में प्रकाशनार्थ} सं. आई—14011/02/2021—आईपीएस—1(॥)

# भारत सरकार गृह मंत्रालय

**नई दिल्ली**, दिनांक: 23.08.2021

## अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्निलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप—विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं :—

## चयन सूची-2020

कम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व / श्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1.	देवेंद्र पिंचा	11.10.1978
2.	प्रदीप कुमार राय	01.07.1974

- 2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

34 न है है (ए. के. सरन) निदेशक (पुलिस) दूरभाष - 23093256

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नुई दिल्ली .22 ।

सं. आई-14011/13/2020-आईपीएस-1(।),

नई दिल्ली, दिनांक: 23.08.2021

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

- 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचित कर दिया जाए।
- 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
- 3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून ।
- 4. निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद- 500 052.।
- महालेखापाल, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून ।
- 6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC) को अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । (under "https://ips.gov.in/App\_Uttarakhand.aspx")

(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार